

कार्यालय, नगरपालिक निगम रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

परिवद के विशेष समिति बैठक दिनांक 28/09/2017 समय दोपहर 02:00 बजे

प्रारूप - ॥

(नियम 8 देखिए)

कार्यसूची मात्र	प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण	पारित सक्रिय	उस विधित में जब विवेचनय न हो पारिद का नाम जिससे मतदान किया जाएगा			मतदान का सापन
			विवेचनय के पक्ष में	विवेचनय के विवाद में	मतदान नहीं किया	
1	एटीपी परिवर सहायता के प्रकल्पों के संबंध में पारिद की बैठक दिनांक 12/05/2017 प्रस्ताव क्र. 06 में लिये गये निणय पर विवाद ...	प्रकल्प प्रस्तुत हुआ.	राष्ट्रीय परिवर सहायता से सबचित पूर्व के वितते भी आवेदन एवं गाहडे के सहायता से सबचित पूर्व के वितते भी आवेदन के भीतर निराकरण किया जावे। इसे लिखित है। 15 दिवस परिवर सहायता से सबचित समस्त आवेदनों के पार विवादियों के अवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जाती है।	4	5	6
2	एटीपी परिवर सहायता के सभी विवेक संचालक, समाज करनाल राष्ट्रीय छग का पार प्रस्तुत हुआ है जिसके विनायक क्रमांक 02 में उल्लेख है कि छग समाज करनाल विभाग का भागीदारी करनाल क्रमांक/सा. 06/2005-1782 दिनांक 03/10/2006 के कार्डिका (32) अनुसार प्रस्तुत करने के प्रस्ताव करने हेतु राष्ट्रीय विवादों आवेदन प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय विवादों का विवादित करने हेतु विवादित समय विवादित करने हेतु विवादित प्रस्तुत।	प्रकल्प प्रस्तुत करने के भीतर समाज करनाल करने की समय-शीमा नमूद दिनांक से 06 माह तक विवादित की जाती है। फैसल (पोस्टमर्टम) शिवोर्ट के प्रकल्पों में आवेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव मृत्यु प्राप्त करने हेतु अविवेचन समय प्रदान की जाएगी।	प्रतिमान में राष्ट्रीय परिवर सहायता राष्ट्रीय प्रस्तुत करने की समय-शीमा नमूद दिनांक से 06 माह तक विवादित की जाती है। फैसल (पोस्टमर्टम) शिवोर्ट के प्रकल्पों में आवेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव मृत्यु प्राप्त करने हेतु अविवेचन समय प्रदान की जाएगी।	7		

02 - नगर पालिका नियम रायगढ़ को खुले में शैरच भवत करने हेतु विवारणी प्रस्तुत।

प्रकल्प प्रस्तुत हुआ।
स्वतं भवत विज्ञ अंगति "खुले में शैरच भुवन"
करने हेतु नियारित मापदण्ड पूर्ण होने के कारण रायगढ़ नगरीय क्षेत्र को छुले में शैरच भुवन ग्रहित के अधिकार पर विद्युतित किया जाता है। शैरच भुवन उत्तरात प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित प्रादर्शना दार्ढे वार्ड में शैरचलय नहीं बने हैं जिसे लेकर अपना लिखित आपत्ति दर्ज कराया गया।

1. श्री शाल्य यादव, पार्टियाई कार्ड क्र. 14
2. श्री कमल पटेल, पार्षद वार्ड क्र. 09
3. श्रीमती ममता आदित्य, पार्टियाई कार्ड क्र. 44
4. श्रीमती जानकी कवाज, पार्षद वार्ड क्र. 04
5. श्री पंकज पटेल, पार्षद वार्ड क्र. 43

वर्ती के दस्तावेज सभी सम्माननीय सदस्यों के द्वारा शैरचलय नियम संरक्षी अधिविततज्ञों के संबंध में सम्बावना पत्र में प्रकाशित समाचारों के साथ में समाजित सिर्फी की जीव हेतु जीव समिति की मांग की गई विचारणपत्रत श्री शाल्य यादव की अध्यक्षता में नियारस्त और समिति का गठन किया जाता है।

1. श्री शाल्य यादव, पार्षद वार्ड क्र. 14 अध्यक्ष
2. श्री कमल पटेल, पार्षद वार्ड क्र. 09 सदस्य
3. श्री शरद सराफ, पार्षद वार्ड क्र. 20 सदस्य
4. श्री रमकृष्ण खड्डर्मी, पार्षद वार्ड क्र. 34 सदस्य
5. श्री चंद्रप्रकाश पाटेल, पार्षद वार्ड क्र. 35 सदस्य
6. श्री रमेश चंद्र यादव तिहं, पार्षद वार्ड क्र. 42 सदस्य
7. श्री जानी शमा, रुद्रभेन सदस्य
8. श्री संजय यादव, सहायक अधिवक्ता सदस्य सचिव
9. एकमिति क्षेत्र के सभी अधिवक्ता नामांकि. रायगढ़ सदस्य

यह समिति 15 दिवस में कार्यालय अधिकारों के नाम से जीव प्रतिवेदन आयुक्त, नियम रायगढ़ के सम्बूद्ध करें। जीव प्रतिवेदन परिषद के अंतर्लक्षन हेतु आगामी पार्षद के पहले पर रखा जावे।